



263

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र० क० निगरानी - एक / 16

दिनांक 22 09 - 16

श्री श्री राजनी वशिष्ठ शर्मा

जज 4/5/16 को प्रस्तुत

कलक ऑफ कोर्ट - 7-16  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2/7/16

परमलाल तनय गनेशा धोबी  
निवासी ग्राम बनपुरा बुजुर्ग  
हाल बार तहसील बल्देवगढ़  
जिला टीकमगढ़ म० प्र०

— आवेदक

विरुद्ध

- 1- जसरथ
- 2- मोहन पुत्रगंण
- 3- चन्द्रभान पुत्रगंण किशोरी लोधी  
निवासी ग्राम बनपुरा बुजुर्ग  
तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म० प्र०

— अनावेदकगंण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म० प्र० भू-राजस्व संहिता-1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 30.04.2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ प्र० क० 82/बी-121/2014-15 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

2

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

2

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2209-एक/2016

जिला टीकमगढ़

परमलाल विरूद्ध जसरथ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीरजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 82/बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30-04-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-07-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।</p>	

*[Handwritten signature]*  
16-01-19

*[Handwritten signature]*

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

*g*

*byrd*  
(आर.के. जैन)  
सदस्य 16.03.19